पत्रांक–05/बी02–19/2013 34
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

आर0 बी0 चौधरी, भा0 प्र0 से0
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मा0 शि0)/
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक 17/5/13

विषय :– वित्तीय वर्ष–2013–14 में गैरयोजना अन्तर्गत इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा) के स्थापना मद में आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघु शीर्ष–103–राजकीय कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष–0001– इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा), विपत्र कोड संख्या–एन 2202031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में अंकित राशि रू0 **25,71,88,000/–(पचीस करोड़ इकहत्तर लाख अठासी हजार रू0)** मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि0–2), दिनांक–17.04.1998 300(वि), दिनांक–08.05.2009, एवं 3316 दिनांक–30.03.13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
3 प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतन का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. बिहार राजकोषिय उत्तरदायियत्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

11. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।

12. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,

16/5/13

(आर0 बी0 चौधरी),
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

16/5/13

माँग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–105–राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान, उप शीर्ष–0001–इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा), विपत्र कोड–एन 2202031030001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में जिलावार आवंटित राशि की विवरणी :–

क्र0	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	महायोग	आधुनिकीकरण
	कूट संख्या	0101	0103	0104	0105	0106	0107		1101	1301	1301	1302
1	अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मा0 शि0)	550000	396000	55000	0	2750	825	1004575	0	0	1004575	
2	नालन्दा	5050000	3636000	505000	0	25250	7575	9223825	2000	5000	9230825	
3	पटना	35850000	25812000	7170000	210000	179250	53775	69275025	2000	5000	69282025	
4	भोजपुर	4540000	3268800	454000	0	22700	6810	8292310	2000	5000	8299310	
5	बक्सर	1040000	748800	104000	0	5200	1560	1899560	2000	5000	1906560	
6	रोहतास	4040000	2908800	404000	0	20200	6060	7379060	2000	5000	7386060	
7	औरंगाबाद	3000000	2160000	300000	0	15000	4500	5479500	2000	5000	5486500	
8	गया	3520000	2534400	352000	0	17600	5280	6429280	2000	5000	6436280	
9	जहानाबाद	1435000	1033200	143500	0	7175	2150	2621025	2000	5000	2628025	
10	नवादा	1050000	756000	105000	0	5250	1575	1917825	2000	5000	1924825	
11	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	2580000	1857600	258000	0	12900	3870	4712370	2000	5000	4719370	
12	मुजफ्फरपुर	10550000	7596000	1055000	0	52750	15825	19269575	2000	5000	19276575	
13	सीतामढ़ी	1410000	1015200	141000	0	7050	2115	2575365	2000	5000	2582365	
14	वैशाली	2540000	1828800	254000	0	12700	3810	4639310	2000	5000	4646310	
15	प0 चम्पारण (बेतिया)	1810000	1303200	181000	0	9050	2715	3305965	2000	5000	3312965	
16	दरभंगा	8010000	5767200	801000	0	40050	12015	14630265	2000	5000	14637265	
17	मधुबनी	1680000	1209600	168000	0	8400	2520	3068520	2000	5000	3075520	
18	समस्तीपुर	2410000	1735200	241000	0	12050	3615	4401865	2000	5000	4408865	
19	सारण	7020000	5054400	702000	0	35100	10530	12822030	2000	5000	12829030	
20	गोपालगंज	1590000	1144800	159000	0	7950	2385	2904135	2000	5000	2911135	
21	सिवान	2010000	1447200	201000	0	10050	3015	3671265	2000	5000	3678265	
22	बेगुसराय	1390000	1000800	139000	0	6950	2085	2538835	2000	5000	2545835	
23	मुंगेर	9020000	6494400	902000	0	45100	13500	16475000	2000	5000	16482000	
24	जमुई	730000	525600	73000	0	3650	1095	1333345	2000	5000	1340345	
25	खगड़िया	1180000	849600	118000	0	5900	1770	2155270	2000	5000	2162270	
26	बांका	910000	655200	91000	0	4550	1365	1662115	2000	5000	1669115	
27	भागलपुर	7050000	5076000	705000	0	35250	10575	12876825	2000	5000	12883825	
28	अररिया	1020000	734400	102000	0	5100	1530	1863030	2000	5000	1870030	
29	किशनगंज	1420000	1022400	142000	0	7100	2130	2593630	2000	5000	2600630	
30	पुर्णिया	3540000	2548800	354000	0	17700	5310	6465810	2000	5000	6472810	
31	कटिहार	4120000	2966400	412000	0	20600	6180	7525180	2000	5000	7532180	
32	मधेपुरा	2030000	1461600	203000	0	10150	3045	3707795	2000	5000	3714795	
33	सहरसा	3020000	2174400	302000	0	15100	4530	5516030	2000	5000	5523030	
34	सुपौल	1490000	1072800	149000	0	7450	2235	2721485	2000	5000	2728485	
	कुल योग :–	138605000	99795600	17445500	210000	693025	207875	256957000	66000	165000	257188000	

कुल (पचीस करोड़ इकहत्तर लाख अठासी हजार) रुपये मात्र।

6/5/13

(आर0 बी0 चौधरी)
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)